

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0022911

श्रीमती विमला बागरी पत्नी रामलला बागरी,
अर्जुन नगर पतेरी, पो. महादेवा,
सतना, (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

(1) अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.)

(2) कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.)

— अनावेदक

आदेश
(दिनांक 16.05.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रकरण क्रमांक 196/2011 श्रीमती विमला बागरी पत्नी रामलला बागरी विरुद्ध अधीक्षण यंत्री, (संचा.संधा) वृत्त, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.07.2011 से असंतुष्ट होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने विद्युत शिकायत निवारण फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसका विद्युत मीटर दिनांक 22.04.2009 से खराब था । लाईनमेन के कथन अनुसार रीडिंग नाट सीन बताया गया था, उसने मीटर बदलने के लिए आवेदन दिया था, परन्तु मीटर नहीं बदला गया था । उसे आकलित खपत के आधार पर बिल दिया जाता था, जिसका उसने भुगतान किया था । दिनांक 28.12.10 को लाईनमेन भगवानदास गुप्ता ने उससे मीटर बदलने के लिए 1200/- रू. की मांग की थी । दिनांक 06.01.11 को उसका मीटर कम्पनी द्वारा बदला गया था तब उसने लाईनमेन भगवान दास गुप्ता से

1200/- रू. वापस मांगे थे, जिसे उसने वापस नहीं किया था । फरवरी 2011 के विद्युत बिल में उसे मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिया गया था । उसने जून 2009 से जनवरी 2011 तक 1885 यूनिट के विद्युत बिल का भुगतान औसत के आधार पर पूर्व में किया था, ऐसी स्थिति में उसे केवल 123 यूनिट का बिल दिया जाना था। संशोधित बिल का निवेदन करने पर उसे संशोधित बिल नहीं दिया गया था तथा 23.03.11 को लाईनमेन ने उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया था तथा 1500/- रू. मांगे थे । दिनांक 24.03.11 को उसने 4833/- रू. जमा किए थे । मार्च, 2011 के विद्युत बिल में कनेक्शन की राशि रू. 200/- भी जोड़ी गई थी, जो कि अवेध थी, क्योंकि उसका विद्युत कनेक्शन अवेध रूप से काटा गया था । इन तथ्यों के आधार पर उपभोक्ता ने 123 यूनिट का संशोधित बिल जारी किया जाने और जमा राशि 4833/- का समायोजन किए जाने का निवेदन किया था ।

3. फोरम ने विद्युत वितरण कम्पनी को सुने जाने के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा जो सहायता चाही गई थी वह उसे प्रदान की गई थी अर्थात् उपभोक्ता को केवल 123 यूनिट का बिल जारी किए जाने का निर्देश दिया गया था तथा उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि 4833/- रू. का समायोजन किए जाने का आदेश भी दिया गया था । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता से वसूल किए गए 200/- रू. का आगामी बिल में समायोजन किए जाने का आदेश भी दिया गया था ।

4. फोरम के उक्त आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए यह सहायता चाही है कि उसे क्षतिपूर्ति के रूप में फोटोकॉपी एवं टाईपिंग कराने, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में आने-आने में, मुख्य अभियंता, रीवा परिक्षेत्र के यहां आने जाने में, सी.एम.डी. के समक्ष आवेदन देने में, फोरम आने में, शिकायत पत्र की रस्ट्री कराने में जो व्यय हुआ है तथा 13 दिन के कार्य दिवस का नुकसान होने पर उक्त दिनों की मजदूरी तथा 6 अगस्त, 2011 से 29 अगस्त, 2011 तक प्रति दिवस 100/- रू. की दर से अधिसूचना 25.07.11 के अनुसार खर्च अर्थात् कुल खर्चा रू. 4794/- दिए जाने का अनुरोध किया है ।

5. दिनांक 18.12.12 को जरिए डाक अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद मामला सुनवाई के लिए 19.02.13 को नियत किया गया । इस दिन आवेदक की ओर से श्री आर.एल. बागरी उपस्थित हुए । इसके पश्चात् आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । दिनांक 19.02.13 को आवेदक से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ कि वह उपस्थित नहीं हो पा रहा है, अतः डाक द्वारा उसका जवाब स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया जाए ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या विद्युत लोकपाल द्वारा उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन में चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जा सकता है ?

6. विद्युत उपभोक्ता/आवेदक ने फोरम के समक्ष जो आवेदन पेश किया था और जो अनुतोष चाहा था वह अनुतोष उसे फोरम द्वारा प्रदान किया जा चुका है । क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का कोई अनुतोष उपभोक्ता ने फोरम से नहीं चाहा था । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की कण्डिका (धारा) 10, 18 में इस तरह का मुआवजा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2010 के प्रावधान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण करते समय लागू नहीं होते हैं ।

7. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत की थी तथा फोरम से जो अनुतोष चाहा था वह अनुतोष उसे फोरम द्वारा प्रदान किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की ओर से फोरम के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । अतः उपभोक्ता का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

8. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति नियमानुसार पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल